श्रीमान्

निर्देशक होम्योपैथी।

उ0प्र0 लखनऊ।

विषय– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 – 13401/2023 डॉ0 अरूण कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.08.2023 के अनुपालन मे प्रार्थी/ याची का प्रत्यावेदन

महोदय,

अधोहस्ताक्षरित प्रार्थी विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं।

1. यह कि याचि की नियुक्ति 11.09.2011 को मेडिकल आफिसर होम्योपेथिक के पद पर की गयी। प्रार्थी का स्थानान्तरण होम्योपेथिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2015 ~~में करी मध्य~~ कोशाम्बी जिला में की गई। और प्रार्थी वर्तमान में कौशाम्बी जिले में वर्ष 2015 से कार्यरत है।

2. यह कि प्रार्थी की पत्नी की नियुक्ति वर्ष 2019 में सिविल जज जू0डि0 के पद जिला प्रतापगढ़ जिला न्यायालय में की गयी। प्रार्थी की पत्नी का स्थान्तरण सन 2023 में अपर सिविल जज जू0डिवीजन के पद पर की गयी।

3. यह कि दिनांक 05.06.2023को उ0प्र0 सरकार ने राजाज्ञा द्वारा ट्रांसफर एण्ड पोस्टिंग की पालिसी पूरे उ0प्र0 में लागू किया। राजआज्ञा के प्रस्तत दों में यह प्राविधान किया गया कि समूह क और ख के अधिकारी जो अपने सेवा काल में सम्बन्धित जनपद में कुल 3 वर्ष पूर्ण कर चुकी है तो ऐसे अधिकारी को उनके जनपदों स्थानतरित कर दिया जाए। इसी प्राकर यह भी प्राविधान किया गया है कोई अधिकारी अपने सेवा काल में एक मण्डल में 7 वर्ष पूर्ण कर चुके हो तों उस अधिकारी को उक्त मण्डल से स्थानान्तरित कर दिया जाए।

Arun

शासनादेश दिनांक 07.06.2023 की प्रति प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न की जाती है।

5. शासनादेश दिनांक 07.06.2023 के प्रस्तर 5 (iv) में यह प्राविधान किया गया कि यदि पती और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है तो सम्भवता एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानान्तरण किया जाएगा।

6. यह कि प्रार्थी ने दिनांक 01.07.23 को अपना स्थानान्तरण शासनादेश के अनुसार जिला अस्पताल रामपुर हेतु महोदय के यहां प्रार्थनापत्र दिया जो महोदय की पोस्ट आफिस की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 07.07.2023 को प्राप्त हो गया। और वर्तमान में निस्तारण हेतु लम्बित है। प्रार्थनापत्र की प्रति संलग्न है।

7. यह कि प्रार्थी उ0प्र0 सरकार के अधिकारी ~~है। के पद पर कार्यरत~~ के पद पर कार्यरत हैं। प्रार्थी ने जनपद कौशाम्बी में वर्ष 2015 से राज्य होम्योपैथिक चिकित्सालय, शोभना बसेडी में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात है। जिला कौशाम्बी में 7 साल से अधिक सेवा कर चुका हैं। प्रार्थी की पत्नी वर्तमान समय में जिला रामपुर में सिविल जज F.T.C के पद पर कार्यरत हैं। जो कि राज्य सरकार अन्तर्गत न्यायिक अधिकारी हैं। शासनादेश के प्राविधान के अनुसार प्रार्थी और प्रार्थी की पत्नी की तैनाती एक ही जनपद में तत्काल करने का प्राविधन है। परन्तु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के बावजूद आजतक प्रार्थी के स्थानान्तरण के सम्बनध में कोई युक्ती युक्त निर्णय नही किया गया।

8. यह कि प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के शासनादेश के अनुसार अपना स्थानन्तरण जिला कौशाम्बी से जिला रामपुर में करने हेतु उपरोक्त याचिका माननीय न्यायालय में योजित किया। माननीय न्यायालय ने दिनांक 23.08.2023 को याचिका को निस्तारित करते हुए

Arun

प्रार्थी के रामपुर में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में युक्ति युक्त निर्णय नियमानुसार करने के लिए आदेश पारित किया। आदेश दिनांक 23.08. 23.8.23 के अनुपालन हेतु आदेश की मूल प्रति प्रार्थनापत्र संलग्न (3) के रूप में संलग्न की जाती है।

9. यह कि जिला रामपुर कौशाम्बी जिले से 550 कि0मी0 दूर है। प्रार्थी के पास दो अव्यस्त पुतियॉ उम्र 6 वर्ष एवं 3 वर्ष है। प्रार्थी की पत्नी उनकी देखभाल करने में घोर कठिनाई का सामना कर रही है। प्रार्थी की नियुक्ति 550 कि0मी0 दूर होने के कारण सहयोग करने में असमर्थ है। काफी दूर रहने के कारण प्रार्थी और प्रार्थी की पत्नी की कार्य क्षमता काफी प्रभावित है।

10. यह कि ट्रान्सफर ~~परिवर्तन~~ पालिसी के अनुसार प्रार्थी का स्थानान्तरण होना है। क्योंकि प्रार्थी 7 वर्ष से अधिक से कौशाम्बी जिले में कार्यरत है। वर्तमान सयम में चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी का पद जिला रामपुर में रिक्त है। प्रार्थी का स्थानान्तरण यदि कौशाम्बी से रामपुर जिले में रिक्त पद पर कर दिया जाता है तो एसी स्थिति में राज्य सरकार लाभनवित होगी क्योंकि प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ रहने के कारण विभाग से आवास की सुविधा एवं अन्य लाभों को प्राप्त करने का अधिकारी नही होगा।

11. यह कि विभाग में राज्य सरकार के अधिन नियुक्ति अनेकों अधिकारियों का स्थानान्तरण एक ही जिले में किया गया है। परन्तु आवेदन प्रस्तुत करने के बावजूद भी आजतक प्रार्थी का स्थानान्तरण नही किया जा रहा है। जिसके कारण प्रार्थी का पारिवारिक जीवन कष्ट मय है। और अवस्क बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी का निर्वाहन नही हो पा रहा है।

प्रार्थना

Arun

अतः महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त वणित कठिनाईयों पर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण जिला कौशाम्बी से जिला रामपुर में शासनादेशनुसार करने की कृपा करें। महति कृपा होगी।

संलग्न–

1. शासनादेश दिनांक 04.06.23 की फोटो प्रति

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत आवेदन पत्र दिनांक 01.07.23 की प्रति

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 13401/2023 में पारित आदेश दिनांक 23.08.23 मूल प्रति।

Arun

डा0 अरूण कुमार यादव
होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी
रा0 हा0 चि0 शोभना बसेडी
जनपद– कौशाम्बी